

**बिहार सरकार**  
**अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग**

**संकल्प**

1415  
16/07/14

**विषय-** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नियम- 1995 के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का पुनर्गठन।

राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम-16 के अनुसार राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से करने का निर्णय लिया है। इस समिति का कार्यकाल इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से समिति के पुनर्गठन तक के लिये होगा :-

1.	माननीय मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	गृह मंत्री,	सदस्य
3.	वित्त मंत्री	सदस्य
4.	मंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग	सदस्य
5.	श्री श्याम रजक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सदस्य
6.	श्री रामलक्षण राम रमण, माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग	सदस्य
7.	श्री कृष्ण कुमार ऋषि, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, वनमनखी	सदस्य
8.	श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा, मनिहारी	सदस्य
9.	श्री रमेश ऋषिदेव, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा, सिंगेश्वर	सदस्य
10.	श्री रत्नेश सदा, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा, सोनबरसा	सदस्य
11.	श्री सुरेश चंचल,, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा, सकरा	सदस्य
12.	श्री रामायण मांझी माननीय सदस्य बिहार विधान सभा, दरौली	सदस्य
13.	श्री महेन्द्र बैठा,, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा, पातेपुर	सदस्य
14.	श्रीमती मंजु हजारी माननीया सदस्य बिहार विधान सभा, रोसडा	सदस्य
15.	श्री रामचन्द्र राम, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा, बखरी	सदस्य
16.	श्री श्याम बिहारी राम, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा, चेनारी	सदस्य
17.	श्री संतोष कुमार निराला, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा, राजपुर	सदस्य
18.	श्रीमती अमला देवी, माननीया सदस्य बिहार विधान सभा त्रिवेणीगंज	अध्यक्ष
19.	श्री अरूण मांझी, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा, मसौढी	सदस्य
20.	श्रीमती ज्योति देवी, माननीया सदस्य बिहार विधान सभा, बाराचट्टी	सदस्य
21.	मुख्य सचिव	सदस्य
22.	प्रधान सचिव, गृह विभाग	सदस्य
23.	पुलिस महानिदेशक	सदस्य
24.	निदेशक/उपनिदेशक राष्ट्रीय अनु० जाति/जनजाति आयोग	सदस्य
25.	प्रधान सचिव/सचिव अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग	संयोजक


2- इस समिति का मुख्यालय पटना होगा तथा समिति की बैठक एक वर्ष में कम-से-कम दो बार होगी। बैठक में अधिनियम के उपबन्ध के कार्यान्वयन पीडित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुर्नवास सुविधा तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामले तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को प्रभावकरी ढंग से लागू करने पर विचार-विमर्श किया जायेगा एवं समिति आवश्यकतानुसार सुझाव देगी।

3- इस सम्बंध में पूर्व समिति पुनर्गठन सम्बंधी निर्गत संकल्प अवक्रमित समझे जायेंगे।

4- समिति के जो सदस्य विधान मंडल के सदस्य नहीं हैं, को यात्रा भत्ता उसी समय देय होगा जब विधान सभा/विधान परिषद का सत्र चालू नहीं हो। इसके अन्तर्गत यात्रा भत्ता का व्यय भार सरकार द्वारा निर्धारित यथोचित शीर्ष से विकलनीय होगा।


आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति समिति के सभी सदस्यों, महालेखाकार एवं विभाग को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
सरकार के सचिव 16/7/14

ज्ञापांक-1/पी0 सी0 आर0(विविध)09-32/10- 1415 दिनांक- 16/07/14


प्रतिलिपि- हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे बिहार राज्य के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर इस विभाग को भेजी जाय।

  
सरकार के सचिव 16/7/14

ज्ञापांक- 1/पी0 सी0 आर0(विविध)09-32/10- 1415 दिनांक- 16/07/14


प्रतिलिपि- वित्त विभाग, लेखा शाखा, बिहार, पटना/महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


  
सरकार के सचिव 16/7/14

ज्ञापांक- 1/पी0 सी0 आर0(विविध)09-32/10- 1415 दिनांक- 16/07/14


प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/गृह मंत्री के आप्त सचिव/मंत्री कल्याण के आप्त सचिव/समिति के सभी सदस्यों/विधि विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के सचिव गृह (आरक्षी) विभाग/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के सचिव/सचिव, कल्याण के सचिव/निदेशक, समाज कल्याण/निदेशक, कल्याण, निदेशक, आई0सी0डी0एस0/ सभी विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव 16/7/14

ज्ञापांक- 1/पी0 सी0 आर0(विविध)09-32/10- 1415 दिनांक- 16/07/14  
प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव  
16/7/2014

ज्ञापांक- 1/पी0 सी0 आर0(विविध)09-32/10- 1415 दिनांक- 16/07/14  
प्रतिलिपि- निदेशक, राष्ट्रीय अनु0 जाति/जनजाति आयोग, श्रीकृष्णापुरी, पटना को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव  
16/7/2014